न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा (जिला–भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 28/2026
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2026/106

रामबक्स पुत्र मोहन हरिजन निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1– दल्लाराम पुत्र देवीलाल गुर्जर निवासी मालीखेड़ा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
2– बरकत खां पुत्र उम्मेद खां कायमखानी निवासी भीमपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– जगदीश पुत्र छीतर जाट निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– छीतर पुत्र भूरा जाट निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– राकेश पुत्र गोपाल जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– रामदेव पिता मोहन हरिजन निवासी रहड़ हाल हरिजन बस्ती भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय, 1956

तारीख रजू : 02/02/2026

उपस्थित :–

1. श्री त्रिलोक चंद नौलखा : अधिवक्ता **प्रार्थी**

::– निर्णय –::

दिनांक : 12/05/2026

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय, 1956, के तहत विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि **ग्राम रहड़ प0ह0 रहड़ भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 3637/117 रकबा 0.7250 है0 कुल किता 1 रकबा 0.7250 है0** कृषि भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदार की स्थित है। **उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ौसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थी दिनांक 25.09.2025 को अपनी आराजियात को देखने गया तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया।** इस प्रकार प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थी की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः **ग्राम रहड़ प0ह0 रहड़ भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता 1 रकबा 0.7250 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु** न्यायहित में आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण **3, 5** को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई विपक्षीगण सं. **2, 4, 6** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। विपक्षीगण संख्या 01 स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब में विपक्षी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का विरोध नहीं किया गया। केवल पत्थरगढी से पूर्व विधिवत सीमांकन का आदेश दिया जाकर स्वयं की आराजी संख्या 113 के आशिक भू भाग अतिक्रमण पाया जाता है तो वह प्रार्थी स्वयं के व्यव पर उक्त अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निवेदन किया है।

आज दिनांक **12/05/2026** को अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, **जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 ग्राम रहड़ प0ह0 रहड़ भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा** के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी वादगस्त आराजी **खसरा नम्बर 3637/117 रकबा 0.7250 है0 कुल किता 1 रकबा 0.7250 है0** के अभिलिखित संयुक्त खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार **शाहपुरा** को प्रार्थी की **संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात** का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझता हूँ।

—::आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व **ग्राम रहड़ प0ह0 रहड़ भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 3637/117 रकबा 0.7250 है0** एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर रिकार्ड अनुसार सीमांकन माप करवाते हुए प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू—अभिलेख निरीक्षक **बच्छखेड़ा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 1000/— रूपये** कायम किये जाते है, जो **प्रार्थी** से **भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा** मौके पर प्राप्त करें। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्ततन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त आदेश के तहत किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेदबदल नहीं किया जावे। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं न्यायालय का स्थगन होने की दशा में पत्थरगढी की कारवाई नहीं की जावे। यदि सम्पूर्ण भूमि पर अन्य काश्तकार/व्यक्ति काबिज है तो पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जाकर तद्नुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्थरगढी से पूर्व समस्त पक्षकारान**(किसी भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान)** को सूचित किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक **12/05/2026** को सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :— तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट भिजावें।

सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा